RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 | मुंबई : शनिवार 02 मार्च 2024 | वर्ष 05 | अंक 310 | संपादक : फैसल शेख | पृष्ठ : 4 | कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

कल्याण के पास मलंगगढ़ की तलहटी में गुटखा फैक्ट्री
सात लाख के गुटखा के साथ तीन लोग गिरफ्तार

कल्याण, मलंगगढ़ की तलहटी में कुशीवली गांव की सीमा में एक गुटखा बनाने की फैक्ट्री पाई गई। कल्याण क्राइम ब्रांच की टीम ने बुधवार को इस फैक्ट्री के इलाके में अवैध रूप से गुटखा बेच रहे तीन लोगों को गिरफ्तार किया.

पुलिस ने इनके कब्जे से सात लाख का गुटखा और 17 लाख का गुटखा बनाने का सामान जब्त किया है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम विराज अलेम्कर, मोहम्मद रहमान, मोहम्मद खान हैं. दो लोग फरार हैं. जब कुशीवली गांव की सीमा में एक गुटखा फैक्ट्री खड़ी थी, तो स्थानीय ग्रामीण पुलिस पाटिल ने मामले की जानकारी ली और उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी. स्थानीय आध्यात्मिक समुदाय उस जमीन मालिक की भी जांच की मांग कर रहा है जिसकी जमीन पर फैक्ट्री खड़ी थी. कल्याण अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नरेश पवार को सूचना मिली थी कि कटाई-बदलापुर रोड पर कुशीवली इलाके में गुटखा फैक्ट्री चल रही है. पुलिस ने इस फैक्ट्री की गुप्त जानकारी निकाली.

डिप्टी सीएम अजित पवार हैं घोटाले के आरोपी
मुकदमे को बंद करने की सिफारिश, 15 मार्च को सुनवाई

मुंबई, पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने शुक्रवार को महाराष्ट्र राज्य सहकारी (एमएससी) बैंक घोटाले से संबंधित मुकदमे को बंद करने की सिफारिश की है। 25 हजार करोड़ रुपये के इस कथित बैंक घोटाले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार भी आरोपियों में शामिल हैं।

विशेष लोक अभियोजक (सरकारी वकील) राजा ठाकरे ने मंबई के एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आरएन रोकाडे के समक्ष सी समरी रिपोर्ट दाखिल की है। इस पर अदालत 15 मार्च को सुनवाई करेगी। अब यह अदालत पर निर्भर करता है

कि वह लोक अभियोजक की सिफारिश को स्वीकार करे अथवा जांच जारी रखते हुए आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दे। पुलिस सी समरी रिपोर्ट तब दाखिल करती है, जब कोई आपराधिक मामला तथ्यों की चूक से दाखिल हो जाता है अथवा जांच के दौरान मुकदमे की प्रकृति आपराधिक नहीं पाई जाती है।

आर्थिक अपराध शाखा ने पहली क्लोजर रिपोर्ट सितंबर 2020 में दाखिल की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन, अक्तूबर 2022 में आर्थिक अपराध शाखा ने अदालत को बताया था कि उसने शिकायतकर्ता व प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से उठाए गए बिंदुओं के आधार पर जांच जारी रखा है। आर्थिक अपराध शाखा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर अगस्त 2019 में धोखाधड़ी समेत आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

दहानू उपजिला अस्पताल में प्रसूति वार्ड में बिस्तर पर प्लास्टर गिरा; मरीजों की जान को खतरा

पालघर: एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहां दहानू उपजिला अस्पताल के प्रसूति वार्ड का स्लैब प्लास्टर मरीज के बिस्तर पर गिर गया। उपजिला अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर होने के कारण बिल्डिंग के स्लैब जगह-जगह से टूट गए हैं और इस कारण शुक्रवार 1 मार्च की सुबह करीब 9.30 बजे एक जगह प्लास्टर गिर गया है. गनीमत यह रही कि इस बेड पर कोई मरीज नहीं था, लेकिन पड़ोस के बेड पर महिला बाल-बाल बच गयी. इस घटना से अस्पताल आने

वाले मरीजों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है. अस्पताल में मौजूद मरीजों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार सुबह करीब साढ़े नौ बजे स्लैब का प्लास्टर अचानक गिर गया. गनीमत यह रही कि बेड पर कोई मरीज नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। उन्होंने कहा, लेकिन इससे मरीजों के मन में डर पैदा हो गया है और जर्जर भवन में इलाज कराना खतरनाक है. संपर्क करने पर दहानू उपजिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी बालाजी हेंगाने ने कहा कि इमारत के जर्जर होने के कारण इमारत में जगह-जगह दरारें आ गई हैं। इस संबंध में लोक निर्माण उपमंडल दहानू को समय-समय पर नोटिस दिया जा रहा है और सुधार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में शिंदे गुट के 2 विधायक आपस में ही भिड़ गए...
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए

मुंबई, महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में शिंदे गुट के शिवसेना के लिए उस समय असमंजस की स्थिति बन गई जब दो शिवसेना विधायक आपस में ही भीड़ गए. रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री दादा भुसे और विधायक थोरवे ने एक दुसरे को विधानमंडल की लॉबी में धक्का दे दिया. इसके बाद हडकंप मच गया. वहीं अब विधानसभा में भी हंगामा शुरू हो गया है. हाथापाई शुरू होने के बाद मंत्री शंभुराज देसाई और भरत गोगवले को बीच-बचाव करना पड़ा. इसको लेकर विधानसभा में विरोधी दल के नेता जितेन्द्र आव्हाड ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि विधानसभा में भी पुलिस तैनात की जाए. इस बीच, यह बहस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कानों तक पहुंचने के बाद वह महेंद्र थोरवे और दादा भुसे को एक साथ कार्यालय में ले गए.

इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए. इस बीच विवाद की खबर सुनने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज दिखे.

मुंबई के अस्पताल की बड़ी लापरवाही, परिजनों को गलत शव भेजा, इस तरह हुआ खुलासा

मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल की बड़ी लापरवाही... परिजनों को भेजा गलत शव

मुंबई, एक अस्पताल से ऐसी खबर आई है कि आप भी पढ़कर चौंक जाएंगे. एक परिवार ने आरोप लगाया है कि उन्हें कोल्हापुर में उनके रिश्तेदार के शव की जगह किसी और का शव मिला है. दाह संस्कार स्थल पर किसी और के शव देखकर सभी हैरान रह गए थे.

परिवार को मिला किसी और का शव

मृतक कृष्णत महादेव पाटिल, वरांगे पडाली गांव के 45 वर्षीय स्कूल कर्मचारी थे, जिन्हें शुरू में खून की उल्टी के कारण स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में रेफर करने पर, बिस्तर की अनुपलब्धता के कारण उन्हें एक निजी अस्पताल में भेज दिया गया. दुर्भाग्यवश, कुछ दिनों

बाद उनका वहीं निधन हो गया.

इस तरह हुआ खुलासा

पाटिल के निधन के बाद, उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव ले जाने से पहले दो दिनों तक अस्पताल के शवगृह में रखा गया था. मृतक के बहनोई जयसिंह मुसाले ने कहा, ‘हमने एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की और शव को गुरुवार दोपहर अपने गांव ले आए.’ शव को सीधे दाह संस्कार स्थल ले जाया गया. हालांकि, दाह संस्कार स्थल पर चेहरा देखने के बाद ही परिवार को एहसास हुआ कि शव पाटिल का नहीं बल्कि किसी और का है.

सदमे में है परिवार

परेशान होकर, परिवार ने अस्पताल से संपर्क किया. इसके बाद परिवार के लोगों ने उन्हें विस्तार से जानकारी दी और बताया कि उसे गलत शव मिला है. इसके बाद परिजनों को सही शव भेजा गया. चैरिटी-ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल ने सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया. मृत व्यक्ति के भाई योगेश ने कहा कि वह इतना सदमे में है कि वह बोल नहीं पा रहे हैं.

नवी मुंबई: चीनी खरीद लेनदेन में 60 लाख 71 हजार रुपये की धोखाधड़ी

नवी मुंबई: चीनी खरीदने के मामले में कोलकाता के एक कारोबारी से नवी मुंबई के तीन लोगों द्वारा 60 लाख 71 हजार 500 रुपये की ठगी किये जाने की बात सामने आयी है. इस मामले में चीनी विक्रेता और दो अन्य एजेंटों के खिलाफ एनआरआई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों के नाम दीपक कुमार, गौरव मक्कड़ (दोनों एजेंट) साजिद चीनी विक्रेता हैं. इस मामले में वादी उत्तमकुमार बोस हैं जो कोलकाता में रहते हैं. उत्तमकुमार विदेशों में चीनी निर्यात कर रहे हैं. ऐसे ही एक लेनदेन में उसका परिचय गौरव मक्कड़ से हुआ. अप्रैल 2023 के आसपास, मक्कड़ ने उत्तमकुमार को प्रस्ताव दिया कि मांग के अनुसार 135 टन चीनी भेजी जानी चाहिए.

संपादकीय / लेख

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

भारत विरोधी द्रमुक

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी द्रमुक न केवल सनातन-विरोधी है, बल्कि भारत-विरोधी भी है। संविधान धार्मिक आस्था और पूजा-पद्धति की अनुमति तो देता है, लेकिन भारत-विरोध का कोई प्रावधान नहीं है। भारत-विरोध के मायने हैं कि आप देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और राष्ट्र के तौर पर अपमान कर रहे हैं। कोई साजिश रच रहे हैं। उन्हें चुनौती दे रहे हैं। यह सरासर देशद्रोह है और नई न्याय संहिता में इस अपराध की सजा स्पष्ट हो जाएगी। यह संहिता 1 मार्च से देश भर में लागू हो रही है। द्रमुक सरकार ने एक विज्ञापन छपवाया है, जो इसरो लॉन्च पैड से संबंधित था। विज्ञापन में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री स्टालिन के चित्र छपे थे। उनके बीच एक रॉकेट पर चीन का लाल झंडा छापा गया था। विज्ञापन सरकारी और देश के प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ छापा गया था। तमिलनाडु अखंड और आजाद भारत का एक राज्य है। द्रमुक भी भारतीय निर्वाचन आयोग में पंजीकृत एक राजनीतिक पार्टी है। उसे उस जनता का जनादेश प्राप्त है, जो भारत के तमिलनाडु में रहती है। उसी जनता के टैक्स से सरकारें चलती हैं और सरकारी विज्ञापन छपवाए जा सकते हैं। तो सवाल है कि इसरो से जुड़े विज्ञापन में चीन का झंडा क्यों छापा गया? यह भारत देश, इसरो के वैज्ञानिकों, इसरो की अंतरिक्ष में उपलब्धियों का सार्वजनिक अपमान है।

खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद आक्रामक अंदाज में, तमिलनाडु में जनसभा को संबोधित करते हुए, यह मुद्दा उठाया और कहा कि द्रमुक सरकार ने तमाम हदें पार कर दी हैं। बेशक मुख्यमंत्री स्टालिन और द्रमुक की वैचारिकता वामपंथी हो सकती है, वे उसी के आधार पर वोट भी मांग सकते हैं, लेकिन सरकारी काम संविधान से ही संचालित होते हैं और संविधान किसी भी स्तर पर चीन के झंडे के सरकारी इस्तेमाल की इजाजत नहीं देता। यह संविधान का ही प्रावधान है कि विदेश, रक्षा, वित्त और संचार से जुड़े विशेषाधिकार भारत सरकार के पास ही होंगे। उस तरह द्रमुक सरकार ने संविधान का भी उल्लंघन किया है। संविधान के खिलाफ जाकर कोई भी सरकार अस्तित्व में नहीं रह सकती। सवाल है कि तमिलनाडु की द्रमुक सरकार के खिलाफ कोई संवैधानिक कार्रवाई भारत सरकार करेगी या चीख-चीख कर भाषण देने से ही काम चलाया जाएगा? मुख्यमंत्री के मंत्री-पुत्र, द्रमुक के मंत्रियों-सांसदों ने सनातन धर्म को गालियां दीं, उसके समूल नाश की हुंकारें भरीं और उसके लिए भद्दे उपमान भी इस्तेमाल किए गए, तो भी उन्हें सहन कर लिया गया। अलबत्ता हर स्तर पर थू-थू कर द्रमुक नेताओं की खूब आलोचनाएं जरूर की गईं। यदि तमिलनाडु वाकई सनातन-विरोधी है, तो वहां भगवान श्रीराम के प्राचीन और पूजनीय, विख्यात मंदिर क्यों हैं? उन मंदिरों में ह्लरामायणह्व के पाठ और पूजा लगातार क्यों होती रहती है? तमिल लोग भगवान शिव की आराधना के लिए काशी क्यों आते रहते हैं? किसी द्रमुक नेता ने बयान दिया कि चीन भारत का दुश्मन देश घोषित नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी चीन के प्रधानमंत्री को भारत आने का आमंत्रण दिया था। यह बयान हास्यास्पद है। यदि चीन दुश्मन देश नहीं है, तो क्या इसरो के प्रोजेक्ट पर उसका लाल झंडा लगने दें? दरअसल चीन को लेकर हमारे देश में कई तरह की सोच हैं। जब शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनाए गए, तो हमारे प्रधानमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं तक नहीं भेजी थीं। उन्हें पता था कि किस तरह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया और किस तरह संविधान में संशोधन कर शी की ताजपोशी की गई। लेकिन केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने शी जिनपिंग को न केवल बधाई भेजी, बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक बयान लिखा। वामपंथी दल और कांग्रेस की राजनीतिक सोच भी चीन के प्रति ऐसी रही है। बहरहाल अब मुद्दा चीन के लाल झंडे का है।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalrokthok
#faisalrokthok

वसई के 69 गांवों की पानी की समस्या हल

सूर्या प्रोजेक्ट से जल्द मिलेगा पानी

वसई : वसई विरार शहर क्षेत्र के 69 गांवों को जल्द ही सूर्यपानी परियोजना से अतिरिक्त पानी मिलेगा। वसई तक सूर्या परियोजना के जल चैनल बिछाने का काम पूरा होने के बाद 140 मिलियन लीटर पानी उपलब्ध होगा। इसके अलावा गांवों में पानी की पाइपें बिछा दी गई हैं और पानी के प्रेशर की जांच चल रही है. इससे वसई के पश्चिमी बेल्ट के गांवों को अगले कुछ दिनों में पानी मिलेगा.

वसई विरार नगरपालिका क्षेत्र के साथ-साथ क्षेत्र के 69 गांवों को सूर्या परियोजना से पानी नहीं मिल रहा था। उन्हें कुओं जैसे प्राकृतिक जल स्त्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था। 2008 में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा 69 गांवों के लिए नल के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई थी, लेकिन 15 साल बाद भी 69 गांवों के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो सका। इन गांवों में पानी पहुंचाने की योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने नगर पालिका को सौंपी थी। लेकिन नगर पालिका के पास पर्याप्त पानी नहीं होने के कारण गांवों में पानी की समस्या बनी रही। इन गांवों के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहले बिछाए गए जल चैनल जर्जर हो चुके थे और 2012 में निर्मित खाली पानी की टंकियां भी खराब स्थिति में थीं। इन 69 गांवों में से नगर पालिका ने योजना अपने हाथ में लेकर जल वितरण का कार्य अपने हाथ में ले लिया, 26 गांवों में पानी की आपूर्ति की जा रही थी। शेष 43 गांवों में पानी की समस्या थी। इस गांव में बिछाये गये पानी के पाइप जर्जर एवं टूटे हुए थे. उन्हें ठीक कर दिया गया है. साथ ही, पुराने जल निकायों का संरचनात्मक ऑडिट भी किया गया है। वसई विरार शहर को सूर्या जल परियोजना से 165 मिलियन लीटर अतिरिक्त पानी स्वीकृत किया गया है। इसमें से अभी शहर को 10 करोड़ लीटर पानी मिल रहा है। इसलिए अब इन 43 गांवों में जल्द ही पानी पहुंचाया जाएगा. वर्तमान में हम वसई के पश्चिमी क्षेत्र में वतार और अन्य गांवों में जल आपूर्ति का परीक्षण कर रहे हैं।

वर्तमान में सूर्यपानी परियोजना योजना से 165 मिलियन लीटर में से 100 मिलियन लीटर पानी प्राप्त हो रहा है। काशीदकोपर से वसई फाटा तक जल चैनल बिछाने का काम पूरा हो चुका है। नगर पालिका के अधिकारियों ने कहा, इसलिए 140 मिलियन लीटर तक पानी लिया जा सकता है।

नगर पालिका ने पानी वितरण के लिए अमृत योजना के तहत कुल 17 जलस्त्रोतों का निर्माण कराया था। उनमें से 15 जलाशयों का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष 2 जलस्त्रोतों का छोटा-मोटा काम बाकी है, वह भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बजट सत्र में राज्य का 4 महीने का बजट पेश किया गया. इस बजट में जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए 3,800 करोड़ रुपये का पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

चेंबुर घटाला मे मनसे युवा नेता अमित ठाकरे का

ढोल फटाको फूलों की बारिश से हुआ जंगी स्वागत
शिवसेना उद्धव गुट के चेंबूर घाटला गढ़ मे मनसे ने लगाई सेंध

मनसे युवा नेता अमित ठाकरे के हाथों जनसंपर्क कार्यालय का उदघाटन संपन्न

मुंबई (फिरोज सिद्दीकी) चुनावी रणभेरी बजते ही हमेशा की तरह इस बार भी चेंबूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले खारदेवनगर घाटला स्थित मनसे की प्रभाग क्रमांक 153. की शाखा का उदाघाटन मनसे प्रमुख राज ठाकरे के चिरंजीवी अमित ठाकरे के हाथों संपन्न हुआ ।इतना ही नहीं चेंबु मनसे विभाग अधक्षय माऊली थोर्वे के मार्गदर्शन मे मनसे युवा नेता अमित ठाकरे का हुआ जंगी स्वागत। जेसीबी के सहयोग से फूलों की बारिश कर करवाई, ढोल ,फटाको से जंगी स्वागत किया। जिससे मनसे शाखा क्रमांक 153 जन संपर्क कार्यलय के उदाघाटन की आड़ मे एक तीर से कई राजनीतिक निशाने साधने मे लगी है ।

कहा जाता है की पिछले कई वर्षो से चेंबूर से लेकर अणुशक्ति नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शिवसेना का गढ़ बाल किल्ले के तौर पर जग जाहिर है ।बता दे, शिवसेना दक्षिण मध्य मुंबई सांसद राहुल शेवाले के बाद, चेंबुर अणुशक्ति नगर के पूर्व विधायक तुकाराम के बगावती तेवर अपनाने से रही सही कसर उद्धव गुट छोड्कर शिंदे गुट मे बगावत कर पक्ष प्रवेश करने से शिवसेना उद्धव गुट का बाल किल्ला ध्वस्त हो गया ।वहीं दूसरी ओर रही कसर मनसे चेंबूर विधानसभा विभाग अधक्षय ,प्रदेश वाहतूक महासचिव माउली थोर्वे के मतदाताओं के बीच बढ़ते जन संपर्क के कारण मनसे को चेंबूर मे संजीवनी देकर दुबारा से खड़े करने का सारा श्रेय जाता है । वहीं मनसे नेत्री रीटा ताई गुप्ता से पत्रकारों ने जब सीधा सवाल किया तो सीधा कहा की किधर है शिवसेना का बाल किल्ला कहाँ रह गया है ,वो कब का ढाह गया है। मनसे के मराठी भाषी के बीच बढ़ते जनसंपर्क को देखते हुए शिवसेना उद्धव गुट के भावी उम्मीदवारों मे अभी से ही हताशा देखने को मिल रही है परिणाम स्वरूप हार मान ली है ।जिसके कारण अमित ठाकरे से लेकर रीता ताई ने विश्वास जताया की आगामी चुनावों मे निर्वाचन क्षेत्र की पांचो सीट मनसे के खाते मे जायेगी । उपरोक्त अवसर पर करण बाला दूंनबन सहित बड़ी संख्या मे मनसे पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओ का जनसैलाब उमड़ पड़ा।

छत से गिरने पर बच्चे की मौत

मुंबई : वर्ली के बीडीडी चॉल में अंबेडकर भवन की छत से क्रिकेट गेंद निकालने के प्रयास में 15 वर्षीय लड़के की जान चली गई, जिसकी पहचान सुजल संदीप मोरे के रूप में हुई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना तब सामने आई जब लड़कों का एक समूह पास के मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। जब गेंद इमारत की छत पर गिरी, तो सुजल ने सीढ़ी का उपयोग करके इसे लाने का फैसला किया। हालांकि, घटना जब हुई, छत का पत्रा खिसक गया, जिससे युवा लड़का लगभग 35 फीट नीचे गिर गया। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण सुजल को तुरंत केईएम अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सीय प्रयासों के बावजूद, घटना के एक दिन बाद मंगलवार को उसने दम तोड़ दिया।

पालघर में डबल मर्डर से सनसनी, मानसिक रूप से बीमार शख्स ने कुदाल से की दो लोगों की हत्या, हुआ गिरफ्तार

महाराष्ट : पालघर जिले के बोइसर इलाके के कूदन गांव में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां मानसिक रूप से परेशान एक शख्स ने दो लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि घटना के बाद लोगों ने जब शोर मचाया तो आरोपी भाग गया. वहीं अब आरोपी को पुलिस ने पास के वन क्षेत्र में एक मिट्टी के तालाब से गिरफ्तार कर लिया. दरअसल, पालघर जिले के कूदन गांव में पिछले दो चार दिन से एक अज्ञात व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था. स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक मानसिक रोगी लगा रहा था. इसलिए ऐसे में किसी ने उसे तवज्जो नहीं दी, लेकिन गुरुवार की युवक ने अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसकी निर्मम हत्या कर दी और उसकी लाश के पास ही बैठा रहा. इसी बीच मृतक का भाई उसे खोजते हुए वहां पहुंचा तो आरोपी ने कुल्हाड़ी से उसके ऊपर भी एक के बाद एक कई वार किए और उसकी भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि घटना के बाद आरोपी ने एक अन्य व्यक्ति के घर के बाहर भी दरवाजे पर कुल्हाड़ी से हमला किया था.

भायंदर से आठ रोहिंग्या गिरफ्तार, संदिग्धों गिरफ्तारी की के बाद पुलिस हरकत में

भाइन्दर : भायंदर पश्चिम के उत्तन चौक जेट्टी से उत्तन सागरी पुलिस ने 8 रोहिंग्या अल्पसंख्यकों को अवैध रूप से घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तन चौक जेट्टी में कुछ लोग संदेहास्पद तरीके से एकत्रित हुए थे, अतः गुप्तचरों द्वारा मिली सुचना के आधार पर उत्तन पुलिस ने मौके पर पहुंच कर उन लोगों से पूछताछ की तो वे सभी समाधान कारक जवाब नहीं दे पाए और ना ही उनके पास कई वैध कागज पत्र थे अतः पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले कर कड़ाई से पूछताछ करनी शुरू की तो पता चला की वह सभी विदेशी नागरिक म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान हैं, पुलिस उपायुक्त (जोन 1) प्रकाश गायकवाड ने बताया की हम इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं और वह लोग कितने दिन से एवं क्यों उत्तन में थे? और भारत में कैसे और कब आए? इनका पनाहगार कौन है? इन सभी प्रश्नों की तह तक पहुंच कर हम और भी संभावित गिरफ्तारियां करेंगे। गिरफ्तार रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ भारतीय पासपोर्ट अधिनियम तथा विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है की इन संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी के बाद मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय हरकत में आ गई है।

ड्रग तस्कर शिराजी केस: साढ़े पांच करोड़ की संपत्ति के सिलसिले में ईडी के निशाने पर!

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ड्रग तस्कर अली असगर शिराजी और उसके सहयोगियों की 5.37 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। इसमें सात अचल संपत्तियां शामिल हैं और इनकी कीमत करीब पांच करोड़ रुपये है. ये संपत्तियां फ्लैट, दुकानों और जमीन के रूप में हैं और अली असगर शिराजी, महरीन शिराजी, अब्दुल समद, मनोज पटेल और भावेश शाह के नाम पर हैं। इसके अलावा, ईडी ने कहा कि रुपये की सावधि जमाएं हैं।

मुंबई के जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन में नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है. ईडी उसी मामले को आधार

बनाकर मामले की जांच कर रही है. ईडी की जांच में पता चला है कि अली असगर शिराजी और सहयोगी ड्रग सिंडिकेट चला रहे हैं। नशीले पदार्थों को दूरसंचार कंपनियों, लॉजिस्टिक्स कंपनियों, परामर्श कंपनियों और कॉल सेंटर/वेबसाइट संचालित करने वाली नकली दवा कंपनियों के माध्यम से विदेश भेजा गया था। अवैध शिपिंग और अन्य कंपनियों के माध्यम से बिक्री आय का शोधन किया जा रहा था। भारत में कॉल सेंटरों के माध्यम से अमेरिका और ब्रिटेन से नशीले पदार्थों की मांग की सूचना मिली थी। इसके बाद नकली दवा कंपनियां दवाएं खरीद रही थीं। इन्हें लॉजिस्टिक्स कंपनियों द्वारा भारत से बाहर ले जाया जा रहा था। नशीले पदार्थों की बिक्री से प्राप्त आय को वैध बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स और कंसल्टेंसी फर्मों के एक नेटवर्क का उपयोग किया गया था। जांच से पता चला है कि इस गिरोह से जुड़ी कई कंपनियां अमेरिका में पेमेंट गेटवे का संचालन कर रही हैं। इसका इस्तेमाल कर यह रकम भारत लाई जा रही थी।

आरोपी अली असगर शिराजी और संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों के खातों में भारी नकदी जमा है। ईडी को नशीले पदार्थों की बिक्री से 44 करोड़ 50 लाख रुपये की कमाई की जानकारी मिली है. इससे पहले ईडी ने इस मामले में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था. इसमें से करीब 2 करोड़ 90 लाख रुपये के बैंक खाते में जमा राशि, फिक्स डिपॉजिट और सोना जब्त या फ्रीज कर दिया गया है। इस मामले में ईडी ने 5 जनवरी को शिराजी को गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

विदेश से आकर रहने वाले नागरिकों की जानकारी थाने को देना अनिवार्य, पुलिस निषेधाज्ञा प्रभावी

वसई: वसई विरार और मीरा भायंदर शहर में विदेशी लोग रहने के लिए आने लगे हैं। लेकिन ऐसे अधिकांश नागरिक शहर में होने वाले अपराधों में शामिल पाए जाते हैं. इस पर नियंत्रण के लिए मीरा भायंदर-वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट ने विदेश से आने वाले नागरिकों को किराए पर मकान देते समय पुलिस स्टेशन को जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। पुलिस ने इस संबंध में निषेधाज्ञा जारी कर दी है. वसई विरार और मीराभाईंदर शहर का शहरीकरण तेजी से शुरू हो गया है। चूँकि इस शहर के क्षेत्र में मकान सस्ते और किराये पर उपलब्ध हैं, इसलिए विदेश के विभिन्न हिस्सों से लोग यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इसकी कोई आधिकारिक जानकारी थाने को नहीं है. इनमें से कुछ नागरिक अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी में शामिल हैं।

इस पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने वसई-विरार मीरा भायंदर में 1 मार्च से 28 अप्रैल तक आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) (2) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। पहले पैसे के लालच में मकान मालिक बिना किसी वेरिफिकेशन के विदेशी नागरिकों को मकान किराये पर दे रहे थे. लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा सकता. पुलिस ने मालिक को आदेश दिया है कि वह किराये के समझौते पर उचित हस्ताक्षर किए बिना और 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित किए बिना विदेशियों को मकान, दुकान, होटल और जमीन किराए पर न दे। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

सरकार ने पाठ्यक्रमों के नाम बदलने के मामले पर सुनाया बड़ा फैसला....

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में पाठ्यक्रमों के नाम बदलने के मामले पर एक अहम फैसला सुनाया है। इसके तहत, राज्य सरकार ने मुंबई विश्वविद्यालय (एमयू) के अधिकारियों को आगामी एकेडमिक कउंसिल में नामकरण परिवर्तन को मंजूरी देने के लिए कहा है। वहीं, इस मामले पर मुंबई यूनिवर्सिटी के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि, ''हम इस मुद्दे को अकादमिक परिषद में उठाएंगे। इसके साथ-साथ हम यह भी बताएंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों थी। स्वायत्त कॉलेज अपने परिसरों में बीएमएस पाठ्यक्रमों का नाम बदल रहे हैं और इसलिए टव समानता लाने के लिए इसका पालन करेगा।

इस संबंध में, मुंबई कॉलेजेस

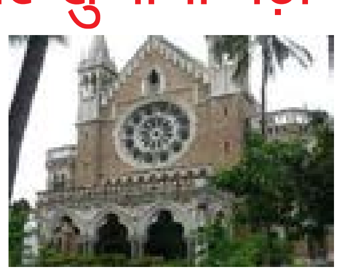

प्रिंसिपल फेडरेशन के अध्यक्ष टी ए शिवरे ने मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कहा कि, अगर कॉलेजों को एआईसीटीई मानदंडों को लागू करने की आवश्यकता है तो हमने इन प्रोग्राम को संचालित करने में कठिनाइयों के बारे में मुंबई यूनिवर्सिटी को पहले ही लिखा था। इसलिए, हमने पिछले सप्ताह राज्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय चर्चा की थी।

तय समय पर पूरा करें एडमिशन प्रोसेस

बता दें कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने हाल ही में संबद्ध कॉलेजों से कहा है कि एडमिशन की प्रक्रिया को तय समय पर पूरा करें। ऐसा नहीं करने वाले कॉलेजों को पेनाल्टी का भुगतान करना होगा। यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा था कि कुछ कॉलेज तय समय पर एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं करते हैं, जिसके चलते दाखिले से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए शैक्षणिक वर्ष 2024- 25 में ऐसी स्थिति न बने, इसलिए जरूरी है कि कॉलेज तय समय पर दाखिले की प्रक्रिया को पूरा करें। ज्यादा जानकारी के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकते हैं।

फर्जी लोन दिलाने वाले रैकेट का भंडाफोड़, मनपा की दो उपशिक्षिका निलंबित

भिवंडी : भिवंडी मनपा शिक्षण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में उपशिक्षिका के रूप में कार्यरत दो महिला शिक्षकों द्वारा फर्जी शिक्षकों के नाम पर लोन दिलाने हेतु चलाए जा रहे रैकेट का पर्दाफांस हुआ है। जिसके उजागर होने के बाद मनपा आयुक्त ने उक्त दोनों महिला शिक्षिकाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिनके द्वारा अब तक फर्जी शिक्षकों के नाम पर बोगस दस्तावेज तैयार कर दर्जनों लोगों के साथ लाखों की धोखाधड़ी किया जा चुका है। शिक्षिकाओं के इस रैकेट में शिक्षण विभाग के अधिकारियों के साथ बैंककर्मियों की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता। इस मामले के उजागर होने से शहर में तरह तरह की चचाएं व्याप्त है। भिवंडी मनपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मनपा शिक्षण विभाग द्वारा संचालित स्कूल क्रमांक 8 में हुमा अहमद नाशिककर तथा स्कूल क्रमांक 11 में अकीला मो हसन, उपशिक्षिका के रूप में कार्यरत है।

पत्रकारों ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री को घेरा... मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, सभी मांगें मंजूर

मुंबई : महाराष्ट्र विधानमंडल में पेश अंतरिम बजट की जानकारी देने आए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री शंभूराज देसाई और संजय बनसोडे को पत्रकारों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर घेर लिया। पत्रकारों की शिकायत थी कि सरकार सभी घटकों के साथ न्याय कर रही है, लेकिन पत्रकारों की मांगों को अनसुना किया जा रहा है। अंतरिम बजट के बाद मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पत्रकारों को

जानकारी देने के लिए विधान भवन स्थित पत्रकार कक्ष पहुंचे। सभी ने अपनी बात रखी। इसके बाद जब सवाल- जवाब की बारी आई तो मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ के अध्यक्ष प्रमोद डोईफोडे और कार्यवाह प्रवीण पुरो मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के पास पहुंचे और अपनी शिकायत में कहा कि आप कहते हैं कि सभी घटकों को न्याय मिला है, लेकिन पत्रकारों को न्याय नहीं मिला है। साथ ही सभी पत्रकारों ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि मई 2023 में किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। विधान परिषद में शंभुराज देसाई ने कहा कि दो दिनों में जीआर पारित हो जाएगा, लेकिन पत्रकारों ने बताया कि दो सत्र होने के बावजूद भी जीआर पारित नहीं हुआ है। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से पत्रकारों को शीघ्र न्याय देने की पुरजोर मांग की। अंततः मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उन्होंने पत्रकारों की सभी मांगें मान ली हैं।

दैनिक
रोकठोक लेखनी
मुंबई : शनिवार 02 मार्च 2024

एपीआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज

मुंबई : समता नगर पुलिस ने असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नौशाद पठान के खिलाफ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने और उससे बच्चा होने को लेकर एफआईआर दर्ज किया था। अब सेशन कोर्ट ने नौशाद पठान की अग्रिम जमानत याचिका रिजेक्ट कर दी है। पुलिस अब आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। हालांकि फिलहाल वह नदारद है और पोस्टेड है। घटना के वक्त वह समता नगर पुलिस थाने में कार्यरत था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 5 जून 2020 से लेकर 5 जून 2023 तक एपीआई नौशाद पठान ने महिला के साथ बलात्कार किया। यही नहीं महिला दो बार इससे प्रेग्नेंट भी रही, जिसमें से एक बार उसका गर्भपात करवाया गया और एक बार उसने बेटी को जन्म दिया।

महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ईडी ने 580 करोड़ रुपए किए सीज

दिल्ली-मुंबई समेत कई शहरों में रेड...

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए 580 करोड़ रुपए फ्रीज किए हैं. इसके अलावा छापेमारी के दौरान 1.86 करोड़ रुपए कैश और 1.78 करोड़ की कीमती चीजें जब्त कीं. ये छापेमारी एजेंसी ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, इंदौर और गुरुग्राम में की.

इस मामले में ईडी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इतना ही नहीं अबतक 1296.05 करोड रुपए/प्रॉपर्टी फ्रीज और जब्त किए जा चुके है और मामले की जांच जारी है. इससे पहले ईडी ने बुधवार (28 फरवरी) को दिल्ली-एनसीआर, मुंबई पश्चिम बंगाल समेत 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस मामले में छत्तीसगढ़ के कई नेता और अधिकारी जांच के घेरे में हैं. छत्तीसगढ़ पुलिस की एफआईआर पर ईडी ने अपनी तफ्तीश शुरू की थी. इसके अलावा विशाखापटनम पुलिस और कुछ अन्य राज्यों की पुलिस ने भी महादेव ऐप के खिलाफ केस दर्ज किया था जिसे भी ईडी ने रेकॉर्ड पर लिया था.

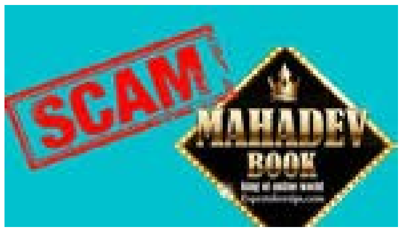

एक देश से दूसरे देश में किए जा रहे थे पैसे ट्रांसफर

जांच में पता चला कि महादेव बेटिंग एप दुबई से चलाई जा रही थी, जिसके कई देशों में अलग-अलग नाम से फ्रेंचाइजी 70 से 30 परसेंट प्रॉफिट-मार्जिन पर दी गई थी. महादेव एप के प्रमोटर कुछ अन्य बेटिंग एप जैसे रेडी अन्ना फेयर प्ले व अन्य एप में भी पार्टनर थे. इन एप के जरिये होने वाली कमाई को फर्जी बैंक अकाउंट और हवाला के जरिये एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर किया जा रहा था.

जांच में क्या पता चला?

जांच के दौरान यह पता चला कि कोलकाता का रहने वाला एक बड़ा हवाला कारोबारी हरि शंकर TIBERWAL जो की दुबई में रहकर महादेव एप के प्रमोटर के साथ इस धंधे को आगे बढ़ा रहा है. इस जानकारी के बाद ईडी ने हरिशंकर के ठिकानों और उसके करीबियों पर रेड्स की, जिसमें पता चला की ये खुद SKY EXCHANGE के नाम से अपनी अलग एक बैटिंग एप भी चला रहा था.

इस बेटिंग एप से होने वाली कमाई को इंडियन स्टॉक मार्किट में ऋढक रूट्स से इन्वेस्ट कर रहा था. इसके अलावा इसने अपने कई साथियों को फर्जी कंपनी में डायरेक्टर और कर्मचारी दिखा रखा था जिनके जरिये स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर रहा था. ईडी ने हरी शंकर के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 580.78 करोड़ को ढटछअ के तहत फ्रीज कर दिया है. इतना ही नहीं, अबतक 1296.05 करोड रुपए/प्रॉपर्टी फ्रीज और जब्त किए जा चुके है.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी से राहत 27 मार्च तक बढ़ा दी

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को दी गई गिरफ्तारी से राहत शुक्रवार को 27 मार्च तक बढ़ा दी। अदालत ने मामले को 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ ईडी की प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को चुनौती देने वाली समीर वानखेड़े की याचिका पर संक्षिप्त जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद मामला स्थगित कर दिया गया था।

ईसीआईआर ईडी द्वारा दर्ज की गई शिकायत की एक औपचारिक प्रविष्टि है। वानखेड़े ने ईसीआईआर को बॉम्बे एचसी में चुनौती दी है और अपने खिलाफ मामले को रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा, बॉम्बे लउ ने वानखेड़े के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो के साथ मामले की सुनवाई उसी तारीख को सूचीबद्ध की है। अदालत को बताया गया कि सॉलिसिटर जनरल उस तारीख पर दोनों मामलों में खुद पेश होंगे। इससे पहले 10 फरवरी को, प्रवर्तन निदेशालय ने वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शुरू किया था, जिसमें सीबीआई की एफआईआर को स्वीकार करते हुए अभिनेता शाहरुख खान के परिवार से उनके बेटे को क्रूज ड्रग्स मामले में बख्शने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग का आरोप लगाया गया था।

मदरसे में घड़ी चोरी... 16 वर्षीय बच्चे को अर्धनग्न कर उस पर थूका गया और योजनाबद्ध तरीके से की गई पिटाई

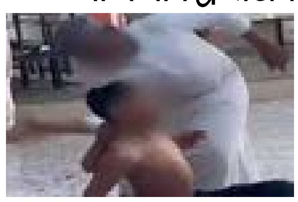

औरंगाबादः महाराष्ट्र के एक मदरसे में 16 वर्षीय एक छात्र को न केवल अपने शिक्षक से बल्कि अपने साथियों से भी क्रूर शारीरिक दंड का सामना करना पड़ा। उसका अपराध - 100 की घड़ी की कथित चोरी। सूरत के इस छात्र का दाखिला औरंगाबाद के जामिया बुरहानुल उलूम मदरसा में हुआ था, जिसे हाल ही में छत्रपति संभाजी नगर नाम दिया गया है। परेशान करने वाली घटना तब सामने आई जब किशोर ने कथित तौर पर पास की दुकान से एक स्वचालित घड़ी चुरा ली। चोरी की वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई.

चोरी का पता चलने पर, दुकानदार ने तुरंत शिकायत दर्ज कराई, जिससे चोरी हुआ सामान बरामद हो गया। हालाँकि, स्थिति ने तब गंभीर मोड़ ले लिया जब मदरसे के मौलवी, जिनकी पहचान मौलाना सैयद उमर अली के रूप में की गई, ने युवा छात्र को ''क्रूर सजा'' देने का फैसला किया। किशोर को अर्धनग्न कर उसके साथी छात्रों द्वारा उस पर थूका गया और योजनाबद्ध तरीके से पिटाई की गई, यह सब कथित तौर पर मौलवी के आदेश के तहत किया गया था।

बिजली के खंभे पर लगाया होर्डिंग... केस दर्ज

शहर की सुन्दरता खराब करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू

भिवंडी : भिवंडी पालिका के अतिक्रमण विभाग द्वारा शहर के अवैध होंडिंग, बैनर पोस्टरों के खिलाफ सतत कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में एक बार फिर प्रभाग समिति क्रमांक 1 के सहायक आयुक्त मकसूम अहमद मुमताज अहमद शेख ने बिजली के खंबे, पेड़, पर तरीके से होंडिंग, बैनर-पोस्टर लगाकर, शहर की सुन्दरता खराब करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। निरीक्षण के दरमियान पाया कि यासीन आय्युब खान ने वंजारपट्टी नाके से चाविंद्रा तक बिजली की खंबों पर अवैध तरीके से होंडिंग लगाया है। सहायक आयुक्त शेख व बीट निरीक्षक

हनुमान म्हात्रे ने अपने अतिक्रमण दस्ते के साथ पुराने आग्रा रोड़ चाविंद्रा तक अतिक्रमण को हटाया और बिजली की खंबों सहित पेड़ और दीवारों पर लगे अवैध तरीके से लगे बैनर को जब्त किया है। इसी के साथ यासीन आय्युब खान ने पालिका क्षेत्र अंर्तगत अपने संस्थान की प्रसिद्धि करने के लिए किसी प्रकार की अनुमति पालिका ने नहीं ली थी।

25 मई तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों को नहीं लगेगा जुमार्ना...

मनपा ने लोगों से 31 मार्च तक टैक्स भरने की लगाई गुहार

मुंबई : मनपा प्रशासन ने पिछले एक साल का प्रॉपर्टी टैक्स बिल अपने ग्राहकों को एक साथ 27 फरवरी को भेजा। टैक्स समय पर नहीं भरने वालों पर मनपा 2 प्रतिशत दंड वसूलती है। मनपा प्रशासन द्वारा आठ माह बिल देरी से देने और अब लोगों से दंड वसूलने को लेकर बुधवार को चल रहे राज्य के अधिवेशन में मुद्दा गूंजा था। मनपा प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई कि प्रॉपर्टी टैक्स बिल में लोगों को 25 मई तक बिल भरने की छूट दी गई है। 25 मई के बाद बिल नहीं भरने पर दंड लगेगा। बता दें कि मनपा प्रशासन को प्रॉपर्टी टैक्स से इस साल 4 हजार 500 करोड़ की कमाई होने का लक्ष्य रखा है। मनपा प्रशासन ने पिछले साल जून महीने में दिया जाने वाला बिल और जनवरी महीने में दिया जाने वाला

बिल इस साल 27 फरवरी को बिल भेजा है। मनपा द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स बिल भेजे जाने के बाद समय पर बिल नही भरने पर दो प्रतिशत दंड लगाने की भी जानकारी अपने ग्राहकों को दी है। मनपा प्रशासन द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स बिल देने में की गई देरी और बिल नही भरने पर 2 प्रतिशत दंड लगाने का प्रावधान किया है।

दो दिन में 50 करोड़ की वसूली

मनपा प्रशासन ने चालू वित्त वर्ष में 4500 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स से कमाई होने का लक्ष्य रखा है। मनपा की तिजोरी में 27 फरवरी तक 800 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी थी। मनपा द्वारा प्रॉपर्टी ग्राहकों को दिए गए नए बिल के बाद दो दिन में 50 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। मनपा कर्मचारियों को अभी भी प्रॉपर्टी टैक्स दाताओं से लगभग 3700 करोड़ रुपए बिल वसूलना है।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेंशन, ८९ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com